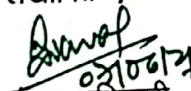


अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-88/16-17
(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(ह)के अन्तर्गत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	-: आदेश :- इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के आदेश झापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जाँच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में मौजा बिरकिटी थाना संख्या-228 खाता संख्या-414 दाग संख्या-63 रकबा-13 बीघा 04 कट्ठा 08 धूर भूमि राजस्व पंजी-11 के होल्डिंग संख्या-IX-20 में फायेज शेख ग्राम-गोलाबाड़ी के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के कायम जमाबंदी विलोपन हेतु प्रारम्भ किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा राजस्व दस्तावेज एवं स्थलीय जाँचोपरान्त अनुशंसित जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बिरकिटी अनाबादी खाता संख्या-414 दाग संख्या-63 रकबा-13 बीघा 04 कट्ठा 08 धूर विगत सर्वे खतियान में पोखर कहकर दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि बिना आधार प्रविष्टि एवं साक्ष्य दस्तावेज के राजस्व पंजी-11 में जमाबंदी फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है, जो भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने कब्जा करने का प्रयास है। संबंधित जमाबंदी रैयत को इस कार्यालय के झापांक-495/रा0 दिनांक-12.07.2016 से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज समर्पित करने हेतु दिए गए निदेश के आलोक में जमाबंदी रैयत के द्वारा कोई विधिसम्मत स्वीकार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समर्पित जाँच प्रतिवेदन आलोक में मौजा बिरकिटी थाना संख्या-228 खाता संख्या-414 दाग संख्या-63 रकबा-13 बीघा 04 कट्ठा 08 धूर किस्म-पोखर की राजस्व पंजी-11 के होल्डिंग संख्या IX-20 में फायेज शेख ग्राम-गोलाबाड़ी अंचल महेशपुर के नाम कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृत्यादेश हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजे। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर	